न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल आर एक्ट संख्या 75/न0/59/2021/जिला टोंक

रामभजन बनाम जिला कलक्टर टोंक

दिनांकः—16.06.2023

आदेश

अभिभाषक श्री डी0पी0 तिवारी द्वारा दिनांक 31.08.2021 को बाज दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार रामभजन बनाम जिला कलक्टर टोंक प्रकरण में न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 12.06.2017 को अपील संख्या 15/2014 में सुनवाई के दौरान अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। न्यायालय आरएए का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को होने से बाज दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि पूर्व में दिनांक 12.06.2017 को न्यायालय आरएए में अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गई थी। तब अभिभाषक श्री हेमराज मीणा थे। प्रार्थी कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। बीच में कोरोना काल आ गया, आवंटन के विरूद्ध अपीलांट आया हुआ है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पुनः नम्बर पर लिया जायें।

अब अपीलांट द्वारा नया अधिवक्ता नियुक्त कर लिया गया है तथा उक्त बाज दायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17.02.2023 को वकील प्रार्थी द्वारा बहस की गई तथा निवेदन किया कि अपील को पुनः नम्बर पर लिया जायें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा न्यायालय आरएए टोंक के समक्ष वाद दायरी बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 8 एवं आदेश 47 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उसके द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है। धारा 5 के प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.09.2020 को कोरोना महामारी के समय में टोंक न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अपने अधिवक्ता के बारे में जानकारी लेने पर पता चला की वे दूंनी न्यायालय में नोटेरी पब्लिक का काम कर रहे है। इसके बाद इसने वर्तमान अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय आरएए के दिनांक 11.09.2020 के आदेश की नकल प्राप्त की। जिसके द्वारा यह बताया गया था कि प्रकरण अब न्यायालय हाजा में सुनवाई हेतु रखा गया है। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का यह मानना है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष कठिन परिस्थितियों में दिनांक 31.08.2021 को अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र को सुप्रीम कोर्ट के दिये गये निर्णय के अनुसार स्वीकार किया जाता है, देरी को क्षमा किया जाता है। साथ ही न्याय हित को देखते हुए प्रकरण के मेरिट पर निस्तारण हेतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाज दायरी को स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:27:24 IST
Reason: SelfAttested

16/6/2023

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी

Scanned with CamScanner